कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccfkanker3@gmail.com (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./2022/ 7276 कांकेर, दिनांक/ 9 /9 /2022

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी

कांकेर वन मण्डल

विषयः— कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु TRIBAL DEVELOPMENT KANKER द्वारा Establishment of Eklavya Modern Residential School, At village Surhi, Tehsil-Narharpur, District North Baster Kanker (C.G.) हेतु क्षेत्रफल 6.50 हे. पंजीयन बाबत्।
ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/SCH/153248/2022

संदर्भ :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) कार्यालय से दूरभाष पर प्राप्त निर्देश दिनांक 9.9.2022

विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि आवेदनकर्ता सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल अंतर्गत नरहरपुर परिक्षेत्र के ग्राम सुरही के नारंगी वन भूमि ओ.ए. 1413 में से रकबा 6.50 हे. वन भूमि पर **"संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय"** संचालन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/2346 दिनांक 17.8.2022 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

वरिष्ठ कार्यालय द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने पर **प्रस्ताव के चेकलिस्ट कण्डिका क्रमांक—35** में प्रस्तावित नारंगी वन भूमि के संबंध में कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है, जिस हेतु वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दूरभाष के माध्यम से कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर से पत्राचार/सम्पर्क कर प्रकरण में प्रस्तावित नारंगी वन भूमि का कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल प्राप्त कर इस कार्यालय को प्राप्त करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।

पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल में **"संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय"** संचालन हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति अवलोकन हेतु संलग्न है। तदानुसार कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

संलग्न :— **उपरोक्तानुसार।**

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./2022/ 7277 कांकेर, दिनांक/ 9 /9 /2022

प्रतिलिपि :—

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर** को आपके कार्यालय से दूरभाष पर प्राप्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. **सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर** को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया प्रकरण में प्रभावित नारंगी वन भूमि का कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर का अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल प्राप्त कर वनमंडलाधिकारी कांकेर के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
   संलग्न :— **उपरोक्तानुसार।**

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर